



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-1790/DL/1/2024-APCR

दिनांक: 13.05.2025

सेवा में,

श्री संजय अरोरा

पुलिस आयुक्त,
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,
दिल्ली पुलिस मुख्यालय,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110001
Email Id: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

विषय: दिल्ली स्थित जमीन पर अवैध कब्जा, धमकी, जातिसूचक अभद्रता एवं पुलिस द्वारा कार्यवाही ना किया जाने हेतु श्रीमती लीला देवी, पत्नी श्री लाला राम मीना, उत्तम नगर, दिल्ली का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 28.03.2025 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट /की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

योगेन्द्र प्रसाद यादव (Y.P Yadav)

उप सचिव /Deputy Secretary

ईमेल : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्रीमति लीला देवी,

बी-10 रोड सं.10 यादव एन्क्लेव,

विकास नगर, उत्तम नगर

पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली -110059

मो.नं 9868491472

(i) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

(ii) NIC for uploading



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग फा. सं. NCST/ATY-1790/DL/1/2024-APCR

दिल्ली स्थित जमीन पर अवैध कब्जा, धमकी, जातिसूचक अभद्रता एवं पुलिस द्वारा कार्यवाही ना किया जाने के संबंध में श्रीमति लीला देवी पत्नी श्री लाला राम मीना, उत्तम नगर, दिल्ली की शिकायत पर आयोग द्वारा आयोजित सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि एवं समय : 28.03.2025 को 04:20 बजे अपराह्न
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-1 के अनुसार।

- अभ्यावेदिका श्रीमति लीला देवी पत्नी श्री लाला राम मीना ने दिनांक 24.07.2024 को आयोग में शिकायत की जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बी-10, गली नं-10 यादव एन्क्लेव, विकास नगर, उत्तम नगर, दिल्ली में रहते हैं इसी क्षेत्र में गली नंबर 9 में श्री रहीसुल निशा उर्फ शब्बो उनके पति श्री जुबेर अहमद और उनके बेटे श्री इरफान रहते हैं। दिनांक 02.11.2023 को प्रार्थी द्वारा एक प्लॉट यादव एन्क्लेव, विकास नगर, उत्तम नगर में लिया गया था, जिस पर प्रार्थी दिनांक 03.12.2023 को दरवाजा लगा रही थी तभी श्रीमति शब्बो और 10-15 लोग वहाँ आए और उन सभी ने मिलकर प्रार्थी के साथ गाली गलोच की और उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने तथा रंगदारी वसूलने की धमकी दी। प्रार्थी ने इस घटना की शिकायत दिनांक 04.12.2023 को थाना रनहोला में की लेकिन श्री अशोक कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसके साथ अभद्रता की। श्री अशोक कुमार ने प्रार्थी को दिनांक 08.12.2023 को थाने में बुलाया और जातिसूचक शब्दों से अपमान किया। अतः प्रार्थी ने आयोग से आग्रह किया है कि श्री अशोक कुमार, रहीसुल निशा उर्फ शब्बो और उसके पति जुबेर अहमद बेटे इरफान, बेटा शकीला, शकरून निशा, शमशाद अहमद, नौशाद, दिलशाद, उमेश त्यागी एवं अशोक यादव के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करें।
- आयोग द्वारा उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले में रिपोर्ट मांगने हेतु पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस को नोटिस 19.08.2024 को भेजा गया।
 - आयोग के नोटिस के संदर्भ में पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट संतोषजनक न पाए जाने पर, आयोग ने 29.11.2024 को सुनवाई की, कार्यवृत्त दिनांक 29.11.2024 संबंधित अधिकारियों को भेजे गए जिसमें के संदर्भ में रिपोर्ट दिनांक 28.01.2025 उपायुक्त पुलिस, बाहरी जिला, नई दिल्ली से प्राप्त हुई, जो संतोषजनक नहीं पाई गई। फलस्वरूप, आयोग ने पुनः 28.03.2025 को मामले की दूसरी सुनवाई निर्धारित की, जिसके लिए तदनुसार सिटिंग नोटिस जारी किए गए।
 - सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर से अपर पुलिस उपायुक्त-1 (Additional DCP-1) एवं अन्य अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए एवं शिकायतकर्ता आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती हैं:-

आशा लक्ष्मी
Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

- I. उक्त प्रकरण में पुलिस प्रशासन द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की जांच हेतु फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया है, परंतु अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण मामले में अग्रिम कार्रवाई लंबित है। पुलिस प्रशासन द्वारा फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को जांच रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु कई बार आग्रह-पत्र भेजे गए हैं, किंतु रिपोर्ट अब तक अप्राप्त है। आयोग, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को इस कार्यवृत्त की प्रति तथा पुलिस प्रशासन द्वारा भेजे गए पत्रों की प्रतिलिपि प्रेषित करेगा।
- II. पुलिस प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिकायतकर्ता एवं उनके परिवार की सुरक्षा में कोई कमी न रहे, विशेषकर जब शिकायतकर्ता द्वारा यह बताया गया है कि उन्हें विपक्षी पक्ष से खतरा है।
- III. विवादित भूमि से संबंधित दस्तावेजों की जांच हेतु पुलिस प्रशासन संबंधित उप-मंडल दंडाधिकारी (एस.डी.एम.) को प्रेषित करे तथा इस संबंध में आयोग को अविलंब सूचित करे।

इस मामले की जांच रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए।

31/04/2025
(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्या

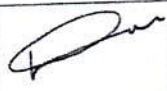
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-1790/DL/1/2024-APCR-RU-IV

Sitting to be held on 28.03.2025 at 04:20 P.M - दिल्ली स्थित जमीन पर अवैध कब्जा, धमकी, जातिसूचक अभद्रता एवं पुलिस द्वारा कार्यवाही ना किया जाने हेतु श्रीमती लीला देवी, पत्नी श्री लाला राम मीना, उत्तम नगर, दिल्ली का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
6.			
7.			
8.			
II	Officers from O/o Deputy Commissioner of Police, Delhi Police		
1.	Deepak Yadav Addl DCP-I	Outer district 9818099070	
2.	Jaipal Singh ACP/Nangla/Outer Dist	7065036106	Jaipal 28/03/25
3.	Insp. Sandeep P. P. K. K.	9013662901	Sandeep 28/03/25
4.			
5.			
6.			
III	Petitioners		
1.	Leeladevi Meena	h/o 13-10, huti naga Jodhpur Bikaner	Meena
2.	Lala Ram Meena	do	Meena